समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय शाखा)

—:आदेश:—

प्रायः विभिन्न सरकारी कार्यों के निष्पादन में विलम्ब देखा जा रहा है, जिसका मूल कारण यह है कि संबंधित कार्यालय के कर्मी उनके लिए निर्धारित मुख्यालय में अपना आवासन नहीं रखते हैं। फलस्वरूप वे विलम्ब से कार्यालय आते हैं और अपराह्न में भी जल्दी कार्यालय छोड़ने हेतु तत्पर रहते हैं। आकस्मिक परिस्थिति में भी संबंधित पदाधिकारी को कर्मियों का सहयोग नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों के निष्पादन में कठिनाई होती है।

अतः जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड/अंचल स्तरीय सभी नियंत्री पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ पदस्थापित पदाधिकारियों/पर्यवेक्षकों/लिपिकों/अन्य कर्मियों को उनके लिए निर्धारित मुख्यालय में उनका आवासन सुनिश्चित करावेंगे और आवासन के संबंध में पूर्ण संतुष्ट होने के बाद हीं संबंधित कर्मी के माह जुलाई, 2014 के वेतन की निकासी करेंगे। माह जुलाई 2014 के वेतन विपत्र के साथ संबंधित कर्मी के आवासन का पता संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ हीं कर्मीवार उनके आवासन का पता अधोहस्ताक्षरी को भी प्रतिवेदित करेंगे ताकि उसका सत्यापन जिला स्तर से करवाया जा सके। यदि जिला स्तर से सत्यापन के दौरान किसी भी नियंत्री पदाधिकारी का प्रतिवेदन गलत पाया जाता है तो संबंधित नियंत्री पदाधिकारी एवं कर्मी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायगी।

21/7/14

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक 1940/सी0, लहेरियासराय दिनांक 21.7.14 जुलाई 2014.

प्रतिलिपि जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड/अंचल स्तरीय सभी नियंत्री पदाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/बेनीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/7/15

जिलाधिकारी,
दरभंगा।